

कार्यालय कलेक्टर, जिला-सूरजपुर, छत्तीसगढ़
एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
अधिसूचना

सूरजपुर, दिनांक 04/07/2020

13.27 भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2016-17 :: संयुक्त रेल लाईन परियोजना हेतु अतिरिक्त भूमि हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 अन्तर्गत ग्राम-उमेश्वरपुर, प.ह.नं.09, तहसील- प्रेमनगर, जिला-सूरजपुर (छत्तीसगढ़) की 0.44 हेक्टेयर का सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना का प्रकाशन माह- जनवरी 2019 में किया गया है। सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना मयविशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट का अनुमोदन नहीं होने के फलस्वरूप लोकहित को ध्यान रखते हुये भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2016-17 ग्राम-उमेश्वरपुर, प.ह.नं.09, तहसील- प्रेमनगर, जिला-सूरजपुर, (छत्तीसगढ़) में भू-अर्जन अधिनियम 2013 अन्तर्गत धारा-14 के तहत 12 (बारह) माह की अवधि बढ़ायी जाती है।

छत्तीसगढ़ राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(रणबीर शर्मा)

कलेक्टर

जिला-सूरजपुर

एवं पदेन उप सचिव, छ.ग.शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग